

23.12.21
वकु. पक्ष. उप. / आज पीठासीन अधिकारी महो.
के प्रकाश/अन्य राज्य कार्य/ ~~अन्य~~ पर होने
से पत्रा. पूर्वादेश की पालना में
दिनांक 30.03.26 को पेश हो। ही. 21

30.03.26

माननीय संभागीय आयुक्त महो.
उदयपुर की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा
वैठक से पूर्व उक्त प्रकरणों को देखा गया।
जिस पर पत्रावली सिंगल से तलब की गयी।
उक्त विचाराधीन प्रकरण में इस
न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
होने से उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान
उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन
रखे हुए इस न्यायालय से यह प्रकरण इस
निर्देश के साथ निर्णित किया जाता है कि
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के
निर्णयानुसार यदि उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही
अपेक्षित की जाती है। तो पुनः नियमानुसार प्रकरण
दर्ज करें।

पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर
नम्बर से काम की जाकर दाखिल दर्ज हो।

(Signature)

जिला कलक्टर
राजसमंद

26.03.26
उक्त प्रकरणों की समीक्षा
के लिए सिंगल से तलब की गयी
दिनांक 30.03.26 को पेश हो।